फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

जितेन्द्र गुप्ता बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुकदमा नम्बर:– 13 सन् 2018

RCMS No- 2018/00021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.04.18	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री जितेन्द्र गुप्ता पुत्र एम.पी. गुप्ता बाडी बस स्टैण्ड, धौलपुर से प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील में अवगत कराया है कि अपीलान्ट ने सूचना चाहने बावत आवेदन लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर एंव अध्यक्ष बाल संरक्षण इकाई धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को स्थानान्तरित किया जाना अंकित किया है। सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एंव बाल अधिकारिता विभाग(बाल संरक्षण ईकाई) धौलपुर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील सुनने हेतु सहायक निदेशक(आईसीपीएस), बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर सक्षम अपील अधिकारी है। अतः अपील, सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित की जाती है। मूल अपील सक्षम अपील अधिकारी को भिजवाई जावें तथा अपीलान्ट को सूचित किया जावे। अपील में इस न्यायालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो, नम्बर से कम की जावे। शुचि त्यागी जिला–कलक्टर, धौलपुर	196-97 17/4/18